

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अकादमी/शोध/2016/ 5345

दिनांक : 21/4/16

प्रति,

समस्त प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/निदेशक,  
सम्बन्धित समस्त शोध केन्द्र सम्बद्ध महाविद्यालय,  
अध्ययनशाला एवं अन्य शोध संस्थान,  
जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

महोदय,

सर्व सम्बन्धित मार्गदर्शकों एवं शोधार्थियों को सूचित किया जाता है कि पी.एच. डी. अध्यादेश 11(22A&B) के प्रावधानुसार मार्गदर्शक को अपने मार्गदर्शन में शोध कार्य कर रहे शोधार्थी की गोपनीय प्रतिवेदन प्रत्येक छः माही में भेजना अनिवार्य है। परन्तु अधिकतर मार्गदर्शकों द्वारा उक्त प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है-

22(A) The University shall obtain every six month a record of attendance, receipt of fees paid and a progress report on a prescribed format (Appendix-III) of the work of the Research Scholar from his supervisor.


22(B) If the progress of work is not found satisfactory in two successive reports or no reports are received for a period of one year and the candidate fails to deposit the fee, the kulpati may order the removal the name of the Scholar from the list of those registered for the Ph.D. Degree.

अतः समस्त मार्गदर्शकों से आग्रह है, कि प्रत्येक मार्गदर्शक, शोधार्थी का छः माही प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से समय-सीमा में भेजने की व्यवस्था करे। अन्यथा अध्यादेश 11 के प्रावधानुसार पंजीयन निरस्त होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित शोधार्थी एवं मार्गदर्शक की होगी। पंजीयन निरस्त होने के कारण शोधार्थी द्वारा यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है, तो विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

कुलसचिव

प्रतिनिधि :-

1. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय।

  
उप-कुलसचिव (अकादमी)